न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 02/2022 अपील (GCMS/22/112)
पंजीयन दिनांक - 14.11.2022
आदेश दिनांक - 31.01.2023

श्री शार्दूल सिंह राठौड पिता दौलतसिंह राठौड, निवासी प्रताप सदन न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर।

-अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर (राज.)

-प्रत्यर्थी

उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री विष्णु पालीवाल - वकील अपीलार्थी
2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक एफ ( )आर्म्स.लाई./न्याय/2011/1923-29 दिनांक 02.06.2011

निर्णय

दिनांक 31.01.2023

यह अपील अपीलर्थी ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-18 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के आदेश क्रमांक एफ ( )आर्म्स. लाई. /न्याय/2011/1923-29 दिनांक 02.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- अपीलार्थी श्री शार्दूल सिंह पिता दौलत सिंह राठौड, निवासी, प्रताप सदन न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर द्वारा बारहबोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 01/1998 को रिन्युवल कराने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2010 को जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 01/1998 को अपराधिक प्रकरण दर्ज होने का हवाला देते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक एफ ( )आर्म्स.

लाई./न्याय/2011/1923-29 दिनांक 02.06.2011 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर अनुज्ञापत्र 01/1998 को निरस्त कर दिया गया।

- उक्त आदेश से असंतुष्ट होने से अपीलार्थी द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा-18 आयुध अधिनियम के न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के समक्ष दिनांक 10.10.2022 को प्रस्तुत की। उक्त अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर से अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ता दिनांक 24.01.2023 को उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

- **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलार्थी ने अपने जान व माल की सुरक्षा हेतु सन् 1998 में बारा बोर बंदूक का लाईसेंस प्राप्त किया था, जिसका अनुज्ञापत्र 01/1998 है जिसे अपीलार्थी ने सन् 2010 में लाईसेंस रिन्युवल के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। सन् 2008 में अपीलार्थी के विरूद्ध राजनितिक द्वेषता से दो मुकदम क्रमशः 312/08, 292/08 अपराध धारा 436 आईपीसी के तहत पुलिस थाना कोतवाली, डूंगरपुर में फर्जी दर्ज करवाया गया था जिसमें अपीलार्थी को झूठा फंसाया गया था, जिसके तहत रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 09.11.2011 को 12 बोर बंदूक थाने में जमा करने के आदेश दिये। अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा संख्या 292/08 राजस्थान सरकार द्वारा विड्रो करने के बाद माननीय न्यायालय अपर एवं जिला न्यायालय, डूंगरपुर में दिनांक 05.06.2018 को प्रकरण संख्या 409/14 सैशन प्रकरण में प्रस्तुत चार्जशीट के आरोप से दोषमुक्त किया गया है तथा प्रकरण संख्या 312/08 पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर अपराध संख्या 3/25 आर्म्स एक्ट में माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर ने दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त दोनो प्रकरणों के अलावा अन्य कोई प्रकरण अपीलार्थी के विरूद्ध जैरे ट्रायल नही है। अपीलार्थी राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, नगर परिषद पार्षद, जिला उपभोक्ता थोक भण्डार के चैयरमेन होने से हमेशा जानमाल का खतरा बना रहता है ऐसी स्थिति में बारा बोर लाईसेंस की आवश्यकता है। अतः अपीलार्थी का बारा बोर लाईसेंस पुनः बहाल कर शस्त्र व अनुज्ञापत्र नवीनीकरण कर लौटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावें।

- **विद्वान राजकीय पेरोकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपीलाधीन निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।**

- **हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

- उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.06.2011 को पारित किया गया जिसके विरूद्ध अपील दिनांक 10.10.2022 को पेश की गई है, जो कि मयाद बाहर है, किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनिमय में वर्णित अपीलांट के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण का निर्णय नही होने का निवेदन तथा अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

- पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी श्री शार्दूल सिंह पिता दौलत सिंह राठौड, निवासी, प्रताप सदन न्यू कॉलोनी, डूंगरपुर, तहसील व जिला डूंगरपुर द्वारा बारा बोर बंदूक का आर्म्स अनुज्ञापत्र संख्या 01/1998 को रिन्युवल करने बाबत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2010 को जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा अनुज्ञापत्र संख्या 01/1998 को अपराधिक प्रकरण दर्ज होने का हवाला देते हुए शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक एफ ( )आर्म्स. लाई./न्याय/2011/1923-29 दिनांक 02.06.2011 से आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर अनुज्ञापत्र 01/1998 को निरस्त कर दिया गया था।

- प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अुनज्ञापत्र संख्या 01/1998 को रिन्युअल करने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.2010 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुख्य कारण यह अंकित किया कि पुलिस थाना, कोतवाली, डूंगरपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिस कारण अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 02.06.2011 से अस्वीकार किया जाकर अनुज्ञापत्र संख्या 01/1998 को निरस्त किया गया है।

- उल्लेखनीय है कि प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण 292/2008 राजस्थान सरकार द्वारा विड्रो करने के बाद माननीय न्यायालय अपर एवं जिला न्यायालय, डूंगरपुर में दिनांक 05.06.2018 को प्रकरण 409/2014 सैशन प्ररकण में प्रस्तुत चार्जशीट के आरोप से दोषमुक्त किया गया है तथा प्ररकण संख्या 312/2008 पुलिस थाना कोतवाली, डूंगरपुर अपराध संख्या 3/25 आर्म्स एक्ट में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर द्वारा दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई प्रकरण विचाराधीन नही है।

- अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में साक्ष्य व जांच के बाद इस प्रकरण में अजसरे नवनिर्णय पारित करें। पत्रावली शुमार फैसल होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर